संख्या-533/2023/1546/22-2-2023-17(413)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 17 अगस्त, 2023

विषयः- जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सफदर पुत्र श्री अफसर अली निवासी जनपद-बदायूं की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14368/प्रोबे0-5-दया0बैठक-31-03-2023, दिनांक 02.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सफदर पुत्र श्री अफसर अली, भीकमपुर, थाना-विल्सी, जनपद-बदायूं का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 16-07-1980 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-467/1980 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-7 बदायूं के आदेश दिनांक-05.02.1983 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-19.07.2017 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 29-03-2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.03.2023 तक 10 वर्ष, 10 माह, 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष, 09 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बदायूं द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की 77 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा अपरिहार 10 वर्ष 10 माह 08 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष 09 माह 08 दिन की भोगी गयी सजा, सन्तोषजनक जेल आचरण होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सफदर (बन्दी संख्या-107/18) पुत्र श्री अफसर अली, निवासी जनपद-बदायूं की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

sk

संख्या-533/2023/1546(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, कासगंज।

3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट पिटीशन सं0-16534/2022 सफदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

sk